मनुस्मृतिकालीन नारी स्थिति

डॉ. पुष्पा
सहायक आचार्य (संस्कृत)
गौरी देवी राज. महिला महाविद्यालय,
अलवर (राज0)

वेद भारतीय सभ्यता और संस्कृति की प्राचीनतम धरोहर है। मानवीय समस्त चेष्टाओं और विशेषताओं का आधार वेद है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा विषय होगा जो वेदों से अछूता होगा। भारतीय संस्कृति में पुरूष और स्त्री दो प्रमुख स्तम्भ हमेशा से ही स्वीकृत है। यह बात अलग है कि दोनों को समान महत्व दिया गया अथवा नहीं। वेदों के अनुशीलन से यह स्पष्ट है कि वैदिककाल में स्त्रियों की जितनी प्रतिष्ठित स्थिति थी उतनी कालांतर में नहीं हुई, वर्तमान में भी नहीं है। वेदों में स्त्रियों को गृहलक्ष्मी, गृहस्वामिनी पद पर प्रतिष्ठित किया गया। परिवार में स्त्रियों को देवी तुल्य माना गया।[1] वेदकालीन समाज में स्त्रियों को आदरणीय व सम्मानजनक माना गया।

भारतीय जीवन में आचार और व्यवहार सिखाने में स्मृतियों का अद्वितीय स्थान है। स्मृति साहित्य में मनुस्मृति का स्थान सर्वोपरि है जो सृष्टि के आदिपुरूष मनुविरचित मनुस्मृति, मनुसंहिता, मानवधर्मशास्त्र, मानव शास्त्र आदि नामों से प्रचलित है। मनुष्य के लिए जीवन में अनिवार्य नियमों को अपनाने पर बल दिया है, यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो वह दण्ड़नीय बन जाता है। मनुस्मृतिकार मनु का मानना है कि सृष्टि के प्रारंभ में एक पुरूष और एक स्त्री दोनों के सानिध्य से सृष्टि की उत्पत्ति और विकास का जो यह चक्र चला वह आज भी अनवरत विद्यमान है, और निरंतर चलता रहेगा। यह प्रत्यक्ष भूत सृष्टि के निर्माण में महत्वपूर्ण तत्व 'स्त्री' अति महत्वपूर्ण है उसके अभाव में सृष्टि की कल्पना असंभव है, तो हम स्त्री के अस्तित्व को कम क्यों आँकते हैं ? हम संसार का कोई भी साहित्य ले लें उसमें हमें नारी के विविध रूपों का दर्शन होता है क्योंकि मानव जगत का प्रायः आधा भाग नारी जाति का है। समय के परिवर्तन के क्रम में समय, स्थान, रूचि, परिस्थिति इत्यादि के कारण नारी के सम्मान में कमी या भेद दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार मनृस्मृतिकार मनु भी नारी के महत्व से परिचित थे।

मनुस्मृति के अनुसार जिस समाज और परिवार में स्त्रियों का आदर–सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं अर्थात् वहाँ अलौकिक गुण और सुख समृद्धि निवास करते हैं।[2] इसके विपरीत जहाँ स्त्रियों की अवमानना होती है, उनका अनादर करने वालों के सभी काम निष्फल होते हैं। भले ही वह कितना भी श्रेष्ठ कर्म कर ले, उन्हें दुःखों का भागी बनना ही पड़ता है।[3]

इस प्रकार का भाव जिस समाज में होगा वहाँ स्त्रियों की स्थिति मजबूत होगी। हमें स्त्रियों को नमन करना चाहिए, मातृशक्ति अजर–अमर–शाश्वत व अमृत तुल्य है। वेदों के बाद मनुस्मृति ही स्त्री को सर्वोच्च सम्मान और अधिकार देती है और वर्तमान के अत्याधुनिक स्त्रीवादी भी इस उच्चता तक पहुँचने में नाकाम रहे हैं। हमने वेदों के संदेशों की अवहेलना की, हमने मनु के परामर्श की भी अवहेलना की परिणामस्वरूप स्त्रियों की स्थिति बद से बदतर होती गई। 19वीं शताब्दी के अन्त में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चन्द, विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों द्वारा स्थितियों में सुधार हुआ और हमने वेदों के संदेशों का पुनः अनुसरण किया।

इतिहास साक्षी है कि हमने जब–जब स्त्रियों पर अत्याचार किया तब–तब समाज व मनुष्यता अवनति के गर्त में धंसते चले गये। मनुस्मृतिकार मनु ने इस तथ्य को अच्छी तरह से हमारे मन मस्तिष्क में समाहित कर दिया कि यदि हम देश, समाज और परिवार की उन्नति की कामना रखते हैं तो स्त्रियों को आदर देना अनिवार्य है अन्यथा उनका अनादर का फल हमें भोगना पड़ता है। जब स्त्री दुःखी मन से तिस्कृत होकर शाप देती है मानों जैसे– सम्पूर्ण परिवार को विष दिया गया हो, सभी मृत हो जाते हैं।[4] अतः जिस परिवार में स्त्री प्रसन्न रहती है तो वहाँ सारा परिवार खुशहाल रहता है।[5] परिवार में सभी से यह अपेक्षा की जाती है कि पुरूष सदैव अपनी भाभी, पत्नी, माँ, पुत्री, बहन को यथायोग्य मीठा वाणी, वस्त्र, भोजन व आभूषण द्वारा प्रसन्न रखे। उन्हें किसी प्रकार का क्लेश नहीं पहुँचने दे यह पुरूष वर्ग का दायित्व है।[6] जो मनुष्य ऐश्वर्य की कामना करते हैं, उन्हें सत्कार और उत्सव के समय स्त्रियों का भोजन, वस्त्र, आभूषण से सम्मान करना चाहिए।[7] परिवार में संतान को जन्म देकर घर का भाग्योदय करने वाली स्त्रियाँ सम्मान योग्य व घर को प्रकाशित करने वाली होती है। मनु के अनुसार शोभा, लक्ष्मी और स्त्री में कोई अंतर नहीं हैं। महर्षि मनु ने स्त्री को 'घर की लक्ष्मी' कहा है। मनु ने नारी को रत्न मानते हुए कहा है कि स्त्री रूपी रत्न जहां से भी प्राप्त हो ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी प्रकार का भाव भर्तृहरिकृत श्रृंगार शतक में भी मिलता है– वहाँ नारी को अस्त्र–शस्त्र रूपी आभूषण धारण करने वाली, नारी के बिना घर की अपूर्णता, घर की शोभा तथा तपस्या का फल स्त्री को तथा ईश्वर की अद्वितीय कृति रूप में चित्रित किया है।[8] मनु ने नारी को रक्षा योग्य माना है इसलिए स्त्री की रक्षा बचपन में पिता करता है, युवावस्था में पति करता है और वृद्धावस्था में पुत्र करते हैं। मनु ने

स्त्रियों की रक्षा का सबसे उचित मार्ग स्त्रियों की ही धार्मिक बुद्धि होना बताया है क्योंकि जो स्त्रियां धर्मानुकूल बुद्धि होने से अपनी रक्षा स्वयं करती है, वे ही सुरक्षित हैं और जो स्त्रियां धर्म विरूद्ध बुद्धि की होती है वे आप्त एवं आज्ञाकारी पुरूषों के द्वारा घर में रोकी जाती हुई भी सुरक्षित नहीं होती।

समाज में स्त्रियों की अपेक्षाएँ :–

पत्नी को अर्धांगिनी, भार्या, जाया व पाणिगृहिती आदि नामों से जाना जाता है। मनु का कथन है कि पतिलोक को चाहने वाली पतिव्रता स्त्री को पति के प्रति अप्रिय कोई कार्य नहीं करना चाहिए। मन, वचन से संयत रहती हुई पत्नी पति सेवा से इस लोक में उत्तम सुख को तथा परलोक में पति के साथ अर्जित स्वर्ग और शुभ लोकों को प्राप्त करती है। विवाह के पश्चात् पत्नी का पहला धर्म अपने पति की सेवा करना है। मनु के अनुसार जो स्त्री मन, वचन तथा शरीर को संयत रखती हुई पति का आदर करती है तथा वह साध्वी पतिव्रता कहलाती है। पत्नी को सदाचार से हीन, परस्त्रीगामी और विद्या आदि गुणों से हीन पति को भी देवता के समान पूजा करनी चाहिए और पत्नी को अपने पति के जीवित पर्यन्त पति की ही सेवा करनी चाहिए और पति के मरने पर भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। 'सन्तानोत्पादन, उत्पन्न हुई संतान की रक्षा और प्रतिदिन के लोक व्यवहार का कारण स्त्रियां है।' धर्म कृत्य, श्रेष्ठ पति, सन्तानोत्पत्ति आदि ये सभी स्त्रियों के अधिकार है।

मनु के अनुसार बड़े भाई की स्त्री छोटे भाई के लिए गुरूपत्नी के समान है और छोटे भाई को स्त्री बड़े के लिए पुत्रवधु के समान कही है।[9] पर स्त्री से उत्पन्न हुए दो पुत्रों को कुण्ड और गोलक कहते हैं। पति के जीवित होने पर जो हो वह कुण्ड और मरने पर हो वह गोलक है। पुत्र के लोभ से जो स्त्री परपुरूष से सम्बन्ध करती है वह यहां निन्दा को पाती है और स्वर्गलोक से भी वंचित रहती है। परपुरूष के भोग से स्त्री लोगों का निन्दा का पात्र बनती है और मरने पर स्यार की योनि को प्राप्त करती है और कुष्ठादि पाप रोगों से पीड़ित होती है।

मनु के अनुसार विदेश जाने वाले पति को अपनी पत्नी की जीविका का प्रबन्ध करना चाहिए क्योंकि जीविका का प्रबन्ध न होने के कारण पत्नी कुमार्ग का आश्रय ले सकती है तथा पत्नी की जीविका का प्रबन्ध करके जब पति विदेश को चला जाए तो पत्नी को नियम से रहना चाहिए। अगर पति बिना जीविका का प्रबन्ध किये चला जाता है तो पत्नी को शिल्पों (सिलाई,

बुनाई आदि) द्वारा अपना पालन करना चाहिए।[10] मनु ने परदेस चले गये पति की प्रतीक्षा की अवधि बताते हुए कहा है कि पत्नी धर्म कार्य के लिए विदेश गये पति की आठ वर्ष तक, विद्या या यश के लिए विदेश गये पति की छः वर्ष तक और जीविकोपार्जन के लिये गये पति की तीन वर्ष तक प्रतीक्षा करे।[11] इसके बाद वह पति के पास चली जाये। मनु के अनुसार माता का स्थान सभी स्त्रियों में सर्वोपरि है इसलिए माता की नित्य सेवा करनी चाहिए। मनु ने यह भी कहा है कि दुःखित होकर भी माता का अपमान नहीं करना चाहिए। बालक के जन्म के समय गर्भाधारण, प्रसव वेदना, पालन, रक्षण द्वारा माता जिस कष्ट को सहन करती है उसका बदला सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। पुत्र को माता की आज्ञा के बिना किसी दूसरे धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। जो माता का आदर करता है वह तीनों लोकों को प्राप्त करके दीप्यमान शरीर वाला होकर सूर्यादि देवताओं के समान स्वर्ग में आनन्द पाता है। परलोक सिद्धि के लिए पुत्र जो कुछ अर्जन करे उसे मन, वचन एवं कर्म से माता को अर्पित कर दे। मनु के अनुसार वृद्ध माता–पिता का पालन–पोषण सौ निकृष्ट कार्य करके भी करना चाहिए। जो पुत्र ऐसा नहीं करता वह दण्डनीय होता है। मनु ने माता के त्याग को अयोग्य कहा है जो माता का त्याग करता है वह छः सौ पण से दण्डनीय होता हैं। कुल्लूक के मत में जो माता का त्याग तो नहीं करता किन्तु उसका अपमान करता है वह भी इसी दण्ड से दण्डनीय होता है। मनु ने गर्भिणी स्त्री का सम्मान करते हुए तीन मास की गर्भिणी को, कर से मुक्त रखा है।

परिवार में कन्या स्थिति :–

मनु ने कन्या को भी परिवार में श्रेष्ठ स्थान दिया है। पुत्र के समान पुत्री को भी विशेष आदर दिया जाता था। मनु ने पुत्र के समान पुत्री को भी पिता की आत्मा कहा है। पिता को अपनी पुत्री को सदा वस्त्राभूषणों से अलंकृत करना चाहिए। पुत्री से कभी धन नहीं लेना चाहिए। जो ऐसा करता है वह पाप का भागी होता है। यदि कोई आर्ष विवाह में भी गौ मिथुन लेता है तो वह कन्या को बेचना ही होता है। मनु ने कन्या से झगड़ा करने के लिए भी मना किया है। कन्या को कभी कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कन्या के दुःखी रहने पर कुल का नाश होता है और इनके प्रसन्न रहने पर कुल में वृद्धि तथा सम्पन्नता प्राप्त होती है। मनु के अनुसार यदि कन्या कुछ अपमान भी कर दे तो क्रोध को वश में करके सहन कर लेना चाहिए, झगड़ना नहीं

चाहिए। मनु ने कन्या के विवाह के उपरान्त उसके पति और पुत्र का भी आदर करने को कहा है। अपनी कन्या का योग्य वर से विवाह न करने वाला पिता, पत्नी की उचित आवश्यकताओं की पर्ति न करने वाला पति और विधवा माता की देखभाल न करने वाला पुत्र निन्दनीय होते है।

विवाह :–

मनु ने कन्या के विवाह के विषय में सबसे महत्वपूर्ण एवं आदर्शपूर्ण बात यह कही है कि कन्या को जीवन पर्यन्त घर में भले ही रोक लेना चाहिए किन्तु गुणहीन, अयोग्य, दुष्टपुरूष के साथ कदापि विवाह नहीं करना चाहिए।[12] कन्या विवाह के योग्य होने पर तीन वर्ष तक अभिभावकों द्वारा योग्य वर प्राप्त होने की प्रतीक्षा करे, इसके बाद वह स्वयं गुणवान् पति का वरण कर ले, ऐसी कन्या और उसका पति थोड़ा भी पाप के भागी नहीं होते।[13] मनु ने विवाह योग्य कन्या के गुणों का वर्णन करते हुए कहा है कि जो किसी अंग से हीन न हो, सुन्दर नाम वाली हो, गजगामिनी हो, बारीक दांत वाली हो, सुन्दर शरीर वाली हो ऐसी कन्या से विवाह करना चाहिए। ऐसी कन्या से विवाह को निषिद्ध माना गया है जो कि माता के सात पीढ़ी (सपिण्ड) की हो और पिता के गोत्र की हो, भूरे वर्ण वाली हो, अधिक या कम अंगों वाली, रोगी, कम या अधिक रोम वाली तथा भूरी आंखों वाली हो। इसके अतिरिक्त जिस कन्या के कोई भाई न हो और जिस कन्या के माता–पिता का ज्ञान न हो, उससे विवाह न करे। मनु कन्या को माता–पिता पर बोझ नहीं समझते थे अपितु कन्या का दायित्व रूपेण सुयोग्य वर के साथ पाणिग्रहण संस्कार का विधान था। भारतवर्ष में स्वयंवर प्रथा अत्यन्त प्राचीन है। मनुस्मृतिकार भी स्वयंवर को उचित मानते थे। माता–पिता कन्या पर जबरन दबाव बनाकर विवाह न कराने की अपेक्षा वर चयन में उसकी सहायता करे। जिस प्रकार नदियाँ समुद्र के साथ मिलकर उसी के अनुरूप गुण वाली हो जाती है। उसी प्रकार स्त्री, पति के साथ विधिपूर्वक विवाह करके उसी के समान गुणों वाली हो जाती है।[14] मनु का मानना था कि जो स्त्री अपने पति के अनुकूल रहकर सभी कार्य करती है वह स्त्री सज्जनों द्वारा 'पतिव्रता' कही जाती है और मरणोंपरान्त वह पतिलोक को प्राप्त करती है।[15] विवाह में दहेज अथवा किसी भी प्रकार के लेन–देन को मनुस्मृति पूरी तरह निषिद्ध करती हैं जिससे की कोई लालच की भावना से ग्रस्त न हो और स्त्री के धन को कोई लेने की हिम्मत न करे। इसी प्रकार का भाव निम्न श्लोक में वर्णित है कि ''जो वर के पिता, भाई, रिश्तेदार आदि लोभवश कन्या अथवा कन्या पक्ष से धन, सम्पत्ति, वाहन अथवा वस्त्रों को लेकर उपभोग कर जीते हैं ऐसे लोग निन्दनीय

महानीय होते हैं (3.52)। मनुस्मृतिकार गृहस्थ जीवन का मूल मंत्र बताते हैं कि पति–पत्नी दोनों मृत्युपर्यप्त साथ रहते हुए, धर्म उल्लंघन से बचे यही मानव धर्म का भी मूल है। तत्कालीन समाज में भी गृहस्थाश्रम समाज द्वारा प्रतिष्ठित व आदर्श आश्रम माना जाता था, जो अन्य आश्रमों की ही भाँति असंख्य दायित्वों से परिपूर्ण था। बड़े भाई की पत्नी गुरूपत्नी और छोटे भाई की पत्नी बड़े भाई के लिए पुत्रवधु समान होती थी।[16] सगाई हो जाने पर कन्या को होने वाला पति मर जाये तो पति के छोटे भाई (देवर) से विधिपूर्वक विवाह करने का प्रावधान बताया है।[17] जो आज भी समाज में देखा जाता है। मनु कहते हैं कि सन्तानोत्पति के कारण वंश विस्तार करने वाली स्त्रियाँ मनुष्य के महान भाग्य का उदय करने वाली पूजा के योग्यः, घर को प्रकाशित करने वाली होती है। घरों में स्त्रियाँ लक्ष्मीस्वरूपा है क्योंकि हमारे घरों में स्त्रियों और लक्ष्मी में कोई भेद नहीं है।[18] मनु स्त्री को घर की लक्ष्मी देवी, समृद्धि, सुख सम्पन्नता व खुशहाली का प्रतीक रूप मानते थे।

शिक्षा :–

मनुस्मृति में नारी शिक्षा कोई विशेष वर्णन नहीं है, क्योंकि जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है उसको ही वेदाध्ययन का अधिकार दिया गया है, किन्तु मनु ने स्त्रियों के संस्कार के विषय में कहा है कि स्त्रियों का विवाह संस्कार ही वैदिक संस्कार है, पति सेवा ही गुरूकुल निवास और गृहकार्य ही अग्निहोत्र कर्म है। स्त्रियों के जातकर्मादि संस्कारों में मन्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, ऐसी धर्म में व्यवस्था है।[19] मनु ने पुरूषों को स्त्रियों से अलग रहने के लिए कहा है, क्योंकि स्त्रियाँ श्रृंगार चेष्टाओं के द्वारा पुरूषों में दोष उत्पन्न कर देती है, विद्वान पुरूष स्त्रियों के विषय में असावधानी नहीं करते। अतः वह उनसे अलग ही रहते हैं। स्त्रियाँ काम तथा क्रोध के वशीभूत मूर्ख या विद्वान पुरूष को भी कुमार्ग की तरफ ले जाती है। मनु ने तो यहां तक कहा है कि माता, बहन, पुत्री के साथ भी एकान्त में नहीं रहना चाहिए। मनु ने नारी रक्षा का दायित्व उसके माता–पिता को ही नहीं दिया अपितु राजा द्वारा भी नारी रक्षा करने पर बल देते हुए कहा है कि राजा आपत्ति के लिए धन की, धन द्वारा स्त्रियों की और धन तथा स्त्रियों के द्वारा अपनी रक्षा करे। स्त्रियों को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी जो अपनी सुरक्षा स्वयं करती है। वह स्त्री सुरक्षित रहती है। घर में बंद करके रखने से स्त्रियॉ असुरक्षित रहती है।[20] मनु का मत है कि शय्या, आसन, अलंकार, काम, क्रोध, अनार्जन, द्रोहभाव और कुचर्या मनु ने स्त्रियों के लिए उत्पन्न किये हैं। उबटन लगाना, स्नान कराना, देह दबाना, फूलों से बाल गूंथना (ये सेवा) गुरूपत्नी की न करें। पूर्ण 20 वर्ष का शिष्य गुणदोष का जानने वाला गुरूपत्नी को पैर छूकर नमस्कार न करें

(अर्थात् दूर से भूमि पर प्रणाम कर ले) यह स्त्रियों का स्वभाव है कि पुरूषों को दोष लगा देना इससे पंडित लोग स्त्रियों में प्रमत्त नहीं होते बल्कि बड़े सावधान रहते हैं। काम, क्रोध के वश में हुआ पुरूष विद्वान व मूर्ख हो, उसको बुरे मार्ग पर ले जाने में स्त्री समर्थ है। स्त्रियों को सदैव प्रसन्न, गृहकार्यों में चतुर, घर के पात्र आदि को शुद्ध आदि को शुद्ध और स्वच्छ रखने वाली होना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्त्री को धन संग्रह, व्यय, वस्तुओं को ठीक प्रकार व्यवस्थित करना, धार्मिक कृत्य करना, पाक कला एवं गृहकार्यों में निपुण होना चाहिए।

मादक द्रव्यों का सेवन, दुष्ट लोगों की संगति, पति से पृथक रहना, दिन में सोना, इधर–उधर विचरण करना और दूसरों के घर में रहना यह स्त्री के छः दोष है। इसलिए मनु ने स्त्रियों को इन दोषों से बचाने के लिए पिता, पति या पुत्रादि अभिभावक को यह आदेश दिया है कि स्त्री को धन के संग्रह, व्यय, वस्तु तथा पदार्थों की शुद्धि, पति की सेवा तथा घर के कार्यों में नियुक्त करें जिससे स्त्री इन छः दोषों से बची रहे।

दण्ड़

नारी के हरण को मनु अत्यन्त हेय दृष्टि से देखते हैं। जो नारी का हरण करे उसके लिए दण्ड का भी विधान दिया है। मनु के अनुसार जो श्रेष्ठ कुल की स्त्री की चोरी करता है वह राजा के द्वारा वध के योग्य है। ऐसे पुरूष को चन्द्रायण व्रत के द्वारा प्रायश्चित करना चाहिए। समाज में विभिन्न पापों पर रोक लगाने के लिए दण्ड़ की व्यवस्था की गई थी। दण्ड केवल पुरूषों को ही नहीं, स्त्रियों को भी दिया जाता था, किन्तु मनु ने पुरूषों को भारी तथा स्त्री को हल्का दण्ड देने का विधान दिया है। जाति से भिन्न स्त्री को भी दण्ड़ नहीं देना चाहिए उसका भोजन तथा वस्त्र से पालन करना चाहिए। विश्वासघाती स्त्री का भी त्याग नहीं करना चाहिए, केवल चन्द्रायण व्रत द्वारा उस स्त्री को अपनी शुद्धि कर लेनी चाहिए।

मनु ने नारी के विषय में कई दण्ड़ विधानों का उल्लेख किया है – मनु ने स्त्री के दुराचार को रोकने के लिए दण्ड़ की व्यवस्था प्रदान की है। जो स्त्री पिता या परिवार वालों के पास अधिक धन होने पर अभिमान से परपुरूष के साथ संगति करके अपने पति का अपमान करे उसे राजा सबके सामने कुत्तों से कटवायें। मद्यपान करने वाली स्त्री को राजा द्वारा अर्थदण्ड़ देना चाहिए। इन स्त्रियों के विवादों के विषय में स्त्रियों को ही साक्षी बनना चाहिए। मनु ने संतान का

अभाव होने पर पति या गुरू से आज्ञा पाया हुआ स्त्री का देवर या सपिण्ड के साथ एक पुत्र को उत्पन्न करने का अधिकार विधवा स्त्री को दिया है किन्तु वह दूसरे पुत्र को कदापि उत्पन्न न करें। इस जगत में माता, पिता, स्त्री, पुत्र ये सभी विपरीत परिस्थियों में त्याग योग नहीं है जो त्याग का अपराध करता हे उसे राजा द्वारा 6 सौ पण दण्ड़ दिया जाना चाहिए।[21] जो व्यक्ति माता, पिता, पत्नी, भाई, पुत्र, गुरू पर झूठे आरोप लगाता है उसे सौ पण का दण्ड़ देना चाहिए।[22]

सम्पत्ति :–

मनुस्मृति में कहा गया है कि स्त्री, पुत्र एवं शूद्र ये तीनों सदा सम्पत्तिहीन ही होते हैं, वह जीवनकाल में जो कुछ उपार्जन करते हैं जिसके वह पुत्र, पत्नी और दास है वह धन इन्हीं तीनों का होता है। मनु ने पुत्री को पुत्र के समान ही पिता की आत्मा माना है।[23] यदि पिता के कोई पुत्र नहीं है और पुत्री है, तो मृत पिता के धन को पुत्री के होते हुए अन्य कोई नहीं ले सकता। इस प्रकार का भी प्रावधान था कि पुत्रहीन पिता की सम्पूर्ण धन सम्पत्ति को पुत्री का पुत्र (दौहित्र) ग्रहण करने का अधिकारी होता था।[24] मनु ने ये भाई का कर्तव्य माना है कि वह अविवाहित कन्या को अपने–अपने भागों में अलग–अलग चतुर्थांश प्रदान करे और यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो वह धर्म के मार्ग च्युत माने जाते हैं।[25] मनुस्मृतिकार ने स्त्रीधन छः प्रकार के स्वीकृत किये है वह है – विवाह संस्कार के समय पितृपक्ष द्वारा प्रदत्त, विवाह के पश्चात पिता के घर से प्राप्त धन, समय–समय पर पति द्वारा प्रसन्न होकर दिया गया धन, कन्या के किसी कार्य से प्रसन्न होकर अथवा किसी विशेष अवसर पर उपहार स्वरूप प्राप्त धन, भाई द्वारा प्रदत्त, पिता और माता से प्राप्त धन।[26] स्त्री के विवाह पश्चात् पति के कुल से अथवा पितृपक्ष से या फिर पति से प्राप्त हुआ जो भी स्त्री का छः प्रकार का धन होता है। वह धन पति के जीवित रहने अपितु मृत होने पर स्त्री की संतानों को ही प्राप्त होता है पति को नहीं।[27] जो स्त्री धन आसुर विवाह में मिलता है निःसंतान रहने व मरने पर माता–पिता को ही दे दिया जाता है। स्त्री को विवाह के अवसर पर पिता और भाई से प्राप्त धन पर केवल उसकी कन्या का ही अधिकार होता है और पुत्र रहित नाना के सम्पूर्ण धन पर (दौहित्र) पुत्री के पुत्र का अधिकार बताया है।[28]

उपसंहार

मनुस्मृतिकालीन नारी स्थिति का कलेवर अत्यंत विस्तृत है जिसके विविध पक्ष है। यदि हम मनुस्मृति के सकारात्मक पक्ष की बात करते हैं तो नारी स्थिति अत्यन्त उन्नत थी जैसा कि प्रस्तुत शोधपत्र में बताया गया है परन्तु इसका दूसरा नकारात्मक पक्ष भी है जहाँ नारी की स्थिति अत्यन्त पक्षपातीपूर्ण प्रतीत होती है। मनुस्मृति आचार–व्यवहार, नियम, कानून बताने वाला बहुत ही प्रसिद्ध ग्रन्थ है जहाँ कहीं–कहीं मतभेद मिलता है वहाँ हम इसे प्रक्षिप्त अंश भी मान सकते हैं। मनुस्मृति जैसे श्रृद्धा से परिपूर्ण ग्रन्थ को फाड़कर जलाने की भी अभी कुछ समय पूर्व की घटना है, जिसने सभी को आहत किया। संसार में किसी भी वस्तु या व्यक्ति में केवल सारी अच्छाइयाँ ही हो, बुराइयाँ न हो, यह संभव नहीं है परन्तु यह हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हम क्या ग्रहण करे और क्या छोड़े। इसका सरल सा उपाय है सकारात्मकता को ग्रहण करे नकारात्मकता को छोड़ दें और आगे बढ़े, यही जीवन का क्रम है।

भारतीय संस्कृति अपने प्राचीन स्वरूप से ही स्त्री को परिवार व समाज में प्रतिष्ठित स्थान देने की पक्षपाती है। जहाँ वेदों में उसे देवी तुल्य पद प्राप्त था वहीं समाज के क्रम से बाद के काल में नारी स्थिति में न्यूनाधिक्य भाव से परिवर्तन आया। इसी प्रकार मनुस्मृति में भी नारी स्थिति उन्नत थी, उसे समाज और परिवार में सम्मानजनक पद प्राप्त था। जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता था वहाँ खुशहाली से परिपूर्ण वातावरण का निर्माण होता था, जो पति या परिवार स्त्रियों को प्रसन्न रखता था वह समृद्ध होता था उसे घर की 'लक्ष्मी' माना गया। गृहस्थ जीवन में पुरूष और स्त्री एक दूसरे के बिना अपूर्ण माने जाते थे।

स्त्री की सहभागिता धार्मिक, अध्यात्मिक कार्यों के लिए अति आवश्यक स्वीकार की गई। धन की संभाल और उसके व्यय की जिम्मेदारी भोजन पकाना, सम्पूर्ण घर की व्यवस्था में उसे स्वायत्ता की बात की गई हैं स्त्रियों को चार दिवारी में कैद रखने की आवश्यकता नहीं है वह अपनी सुरक्षा स्वयं करने में समर्थ होती है। उसे ग्रहस्थाश्रम के प्रवेश के लिए विवाह संस्कार में अपना वर चयन करने की स्वतंत्रता थी, पारिवारिक दबाव निषिद्ध था। पिता की सम्पत्ति में पुत्र के बराबर पुत्री का अधिकार भी होता था वह माता की सम्पत्ति में भी अधिकारी होती थी। उसे भोजन, वस्त्र, आभूषण आदि से सुसज्जित रहने का अधिकार प्राप्त था। अपने चरित्र व आत्म–सम्मान की रक्षा स्वयं के अधीन थी और साथ ही पिता, भाई, पति और पुत्र का भी दायित्व

था कि वह समाज में न केवल अपने परिवार की अपितु सम्पूर्ण स्त्री जाति की रक्षा के दायित्व का निर्वहन करे। संक्षेप में अशोक सिंह द्वारा रचित कविता की पंक्तियाँ नारी के स्वरूप को कुछ यूँ बयां करती है :–

''घर की परिधि में,
बिना कागज कलम के
लिखती है अनकही आत्मकथा।''

संदर्भ ग्रन्थ सूची

01. ऋग्वेद 20.85–46, ऋग्वेद संहिता, दयानंद संस्थान, नई दिल्ली।
सामाज्ञी श्वसुरे भव साम्राज्ञी भवश्रुवां भव।
ननान्दरि साम्राज्ञी भव साम्राज्ञी अधिदेवषु।।

02. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः।। मनुस्मृति 3/56
टीकाकार – पं. केशव प्रसाद शर्मा, वेंकटेश्वर प्रेस, संस्करण, 2016, मुम्बई।

03. शोचयन्ति जामयो यत्र विनश्यात्याशु तत्कुलम्।
न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा।। मनुस्मृति 3/57

04. जामयो यानि गेहानीशपन्त्यप्रतिपुजिताः।
तानीकृत्याहतानीव विनश्यन्ति समंततः।। मनुस्मृति 3/58 (वही)

05. स्त्रियाँ तू रोचमानायाम सर्व तद्रोचते कुलम्।
तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते।। मनुस्मृति 3/68

06. पितृभिभ्रररतरिभिश्चैताः पतिर्भिदेवरैस्तथा।
पूज्या भूषयीतव्याश्च बहूकल्यामीप्सुभि।। मनुस्मृति 3/55

07. तमसा देता सदा पूज्यो भूषणोच्छादना शनैः।
भूतिका मैनररैर्नित्यं सत्कारेशुत्सवेशु च ।। मनुस्मृति 3/59

08. भ्रू चातुर्यात्कुण्चिताक्षाः कटाक्षाः
स्निग्धा वाचों लज्जितान्ताश्च हासाः।
लीलामन्दं प्रस्थितं च स्थितं चः
स्त्रीणामेतद् भूषणं चायुधं च।। श्रृंगारशतक – 03
सति प्रदीपे सत्यग्नो सत्सु तारारवीन्दुषु
विना में मृगशावाक्ष्या तमोभूतमिदं जगत्।। – श्रृंगारशतक – 04
भर्तृहरिशतक (नीति, श्रृंगार और वैराग्य) – लक्ष्मी प्रकाशन, लाल कुँआ, दिल्ली।

09. भ्रातुर्ज्येष्ठस्य भार्या या गुरूपत्न्यनुजस्य सा।
यवीयसस्तु या भार्या स्नुषा ज्येष्ठस्य सा स्मृता।। (9/57)

10. विधाय प्रोषिते वृत्तिं जीवेन्नियममास्थिता।
प्रोषिते त्वविधायैव जीवोच्छिल्परैगर्हितैः।। (9/75)

11. प्रोषितो धर्मकार्यार्थं प्रतीक्ष्योऽष्टौ नरः समाः।
विधार्थं षट् यशोऽर्थं वा कामार्थं त्रींस्तु वत्सरान्।। (9/76)

12. काममामरणात्तिष्ठेन गृहे कन्यर्तुमत्यपि।
नचैवैनां प्रयच्छेतु गुणहीनाय कर्हिचित्।। (9/89)

13. त्रीणि ——————— कालादेतस्माद्विन्देत सदृशं पतिम् (9/90)
अदीयमाना भर्तारमधिगच्छेद्यदि स्वयम्।
नैनः किंचदवाप्नोति न च यं साधिगच्छति।। (9/91)

14. यादृग्गुणेन भर्त्रा स्त्री संयुज्येत यथाविधि।
तादृग्गुणा सा भवति समुद्रेणेव निम्नगा।। (9/22)

15. पतिं या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता।
सा भर्तृलोकानाप्नोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते।। 9/29

16. भ्रातुज्येष्ठस्य भार्या या गुरूपन्नयनुजस्य सा।
यवीयसस्तु या भार्या स्नुषा ज्येष्ठस्य सा स्मृता।। 9/57

17. यस्या म्रियेत कन्याया वाचा सत्य कृते पतिः।
तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः।। 9/69

18. प्रजनार्थं महाभागाः पूजार्हा गृहदीप्तयः।
स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन।। (9/26)

19. नास्ति स्त्रीणां क्रिया मन्त्रैरिति धर्मे व्यवस्थितिः। 9/18

20. अरक्षिता गृहे रूद्धाः पुरूषैराप्तकारिभिः।
अत्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः।। (9/12)

21. न माता न पिता न स्त्री न पुरूस्त्यागमर्हति।
त्यजन्नपतितानेतान्नाज्ञा दण्डयः शतानि षट्।। (08/389)

22. भातरं पितरं जायां भ्रातरं तनयं गुरूम्।
आज्ञारयळछतं दाप्यः पन्थानं याददुरोः।। (8/275)

23. यथैवात्या तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिना समा।
तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्यो धनं हरेत्।। (9/130)

24. दौहित्रो ह्याखिलं रिक्थमपुत्रस्य पितुर्हरेत्।
रू एव दद्याद्वौ पिण्डौ पित्रे मातामहाय च।। (9/132)

25. सर्वेभ्र्योऽशेभ्यस्तु कन्याभ्यः ------ स्वात्स्वादंशाच्युतर्भागं पतिताः स्युरदित्सवः।। (9/118)

26. अध्यग्न्यध्यावाहनिकं दतं च प्रीतिकर्मणि।
भ्रातृमातृपितृप्राप्तं षडविधं स्त्रीधनं स्मृतम्।। (9/194)

27. अन्वाधियं च यद्दतं पत्या प्रीतेन चैव यत्।
पत्यौ जीवति वृत्तायाः प्रजायास्तद्वनं भवेत्।। (9/195)

28. मातुस्तु यौतकं यत्स्यान्कुमयिभाग एव सः।
दौहित्र एव च हरेदपुत्रस्याखिलं धनम्।।